भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 796

उत्तर देने की तारीख 24.07.2025

पीएमईजीपी के तहत सहायता

796. **डॉ.सी.एम.रमेश:**

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) के लक्ष्य और उद्देश्य क्या हैं;

(ख) विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान आंध्र प्रदेश के अनकापल्ली जिले में पीएमईजीपी के अंतर्गत वर्ष-वार कितनी इकाइयों को सहायता प्रदान की गई;

(ग) उपरोक्त इकाइयों को कितनी सहायता प्रदान की गई; और

(घ) विशेषकर अनकापल्ली और सामान्यत: आंध्र प्रदेश में पीएमईजीपी के अंतर्गत और अधिक इकाइयों को सहायता प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा करांदलाजे)

(क): एमएसएमई मंत्रालय खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) के माध्यम से देश-भर में गैर-कृषि क्षेत्र में नए सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना करने में उद्यमियों की सहायता हेतु प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) का क्रियान्वयन कर रहा है। स्कीम के दिशानिर्देशों के अनुसार, पीएमईजीपी स्कीम के उद्देश्य निम्नलिखित हैं:-

(i) देश के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में नए स्व-रोजगार उद्यमों/परियोजनाओं/सूक्ष्म उद्यमों की स्थापना के माध्यम से रोजगार के अवसर सृजित करना।

(ii) व्यापक रूप से फैले हुए पारंपरिक कारीगरों/ ग्रामीण और शहरी बेरोजगार युवाओं को एकसाथ लाना और उन्हें यथासंभव उनके ही स्थान पर स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना।

(iii) देश के परंपरागत और भावी कारीगरों तथा ग्रामीण एवं शहरी बेरोजगार युवाओं के एक बड़े वर्ग को निरंतर और सतत रोजगार प्रदान करना ताकि ग्रामीण युवाओं का शहरी क्षेत्रों की ओर पलायन रोका जा सके।

(ख) और (ग): आंध्र प्रदेश के अनकापल्ली जिले में पीएमईजीपी के अंतर्गत सहायता-प्राप्त इकाइयों की संख्या तथा विगत तीन वर्षों और चालू वर्ष अर्थात वित्त वर्ष 2022-23 से वित्त वर्ष 2025-26 (दिनांक 21.07.2025 तक) के दौरान मार्जिन मनी (एमएम) सब्सिडी के रूप में प्रदत्त वित्तीय सहायता की मात्रा का ब्यौरा निम्नानुसार है:

वित्त वर्ष	**सहायता-प्राप्त इकाइयां**	**संवितरित एमएम सब्सिडी (लाख रुपए में)**
2022-23	52	348.21
2023-24	144	565.34
2024-25	86	317.88
2025-26 (दिनांक 21.07.2025 तक)	133	248.63

(घ): आंध्र प्रदेश राज्य और अनकापल्ली जिले सहित पूरे भारत में पीएमईजीपी स्कीम के अंतर्गत और अधिक इकाइयों को सहायता देने के लिए सरकार द्वारा की गई पहलों में निम्नलिखित शामिल हैं:

i. विनिर्माण क्षेत्र के लिए अधिकतम परियोजना लागत 25 लाख रुपये से बढ़ाकर 50 लाख रुपये और सेवा क्षेत्र के लिए 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 20 लाख रुपये की गई है।
ii. अधिक सब्सिडी की पात्रता के लिए आकांक्षी जिलों के आवेदकों और ट्रांसजेंडर्स का विशेष श्रेणी में समावेशन।
iii. इस स्कीम के अंतर्गत पशुपालन से संबंधित उद्योगों, जैसे- डेयरी, मुर्गी पालन, जल-कृषि, कीट पालन (मधुमक्खी, रेशम उत्पादन आदि) को अनुमति दी गई है।
iv. पिछड़े और कमतर निष्पादन वाले क्षेत्रों, आकांक्षी जिलों, पूर्वोत्तर क्षेत्र आदि सहित सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन।
v. भावी उद्यमियों के लिए दो दिवसीय निःशुल्क ऑनलाइन उद्यमिता विकास कार्यक्रम (ईडीपी) का आयोजन।
vi. भावी लाभार्थियों से जनवरी-2024 से 11 क्षेत्रीय भाषाओं में वास्तविक रूप में पीएमईजीपी आवेदन स्वीकार करना।

****